

दिनांक : 30.06.2021

TGPL/CGD/GA-83/MBD/2021/256 सेवा में,

> श्रीमान प्रभागीय निर्देशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्रा0 लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद – काठ मार्ग (एस0एच0–49)कि0मी0 चैनेज 6.870 से 22.215 तक बांयी पटरी एंव कि0मी0 चैनेज 22. 215 से 30.570 तक दांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछायें जाने हेतु 1.4118 हे0 मुर्ग सेंरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ– कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग,उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या–2975/11सी–FP/up/Pipeline / 49544 /1004 /2020 लखनऊ दिनांक 17.06.2021.

2. आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2955 / 14–1 मुरादाबाद, दिनांक 23.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की बिंदुवार वांछित सूचना / अभिलेख निम्नवत हैः

| क्र0स0 | आपत्ति/प्रदत्त सूचना   | निराकरण / आख्या  |
|--------|--|--|
| 1      | गैस पाईपलाईन बिछाये जाने संबंधी  | उक्त प्रकरण general approval से आच्छादित है,   |
|        | general approval के प्रकरणों<br>में सी०ए० से छुट दी गयी है।<br>विषयगत प्रकरण 1.4118 हे0<br>संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी<br>प्रयोग से संबंधित है, जो 1.00 हे0<br>से अधिक का होने के कारण<br>general approval आच्छादित है<br>अथवा नही ? | क्योकि भारत सरकार के पत्र संख्या<br>एफसी–11 / 165 / 2019–एफसी दिनाकं 27 जुलाई<br>2020 कें बिंदु संख्या–3 में क्षेत्रफल उल्लेख नही है<br>अतः स्पष्टीकरण देते हुऐ कहा गया है की मौजूदा<br>सड्कों के आरओडब्ल्यू के भीतर भूमिगत ऑप्टिकल<br>फाइबर केबल्स, टेलीफोन लाइनें, पीने के पानी की<br>पाइपलाइन, बिजली केबल्स, सीएनजी / पीएनजी और<br>स्लरी पाइपलाइन इन परियोजनाओं के लिए सामान्य<br>रवीकृति हैं, जोकि भारत सरकार के परिपत्र में<br>उल्लेखित विशिष्ट शर्तो के अनुसार दिया जाता है।<br>(प्रति संलग्न) |
|        |  |  |



|   |   | 0   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 2 | विषयगत प्रकरण में सी०ए० से छूट<br>दिये जाने का कथन किया गया है<br>? सी०ए० न लिए जाने की स्थिति<br>स्पष्ट किया जाय।  | <ul> <li>भारत सरकार के पत्र दस्तावेज संख्या<br/>एफसी-11/165/2019-एफसी दिनाकं 27 जुलाई<br/>2020 कें बिंदु संख्या-2 व 3 में स्पष्ट किया गया है,<br/>की मौजूदा सड्कों के आरओडब्ल्यू के भीतर भूमिगत<br/>ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, टेलीफोन लाइनें, पीने के<br/>पानी की पाइपलाइन, बिजली केबल्स,<br/>सीएनजी/पीएनजी और स्लरी पाइपलाइन बिछाने के<br/>लिए सीए नहीं लगाया जा सकता और सीए कि छूट<br/>दी जाती है. चूंकि, टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा<br/>प्रस्तावित पाइपलाइन एक सीएनजी पाइपलाइन है<br/>और खाई का आकार एक मीटर चौडाई व दो मीटर<br/>गहराई से अधिक नहीं है। (प्रति संलग्न)</li> </ul> |
|   | 3 | प्रस्ताव में मार्ग के बांयी तरफ 6.<br>870 से 22.215 कि0मी0 एंव<br>कि0मी0 चैनेज 22.215 से 30.570<br>तक दांयी पटरी पर गैस पाईपलाईन<br>बिछाया जान प्रस्तावित है। मार्ग के<br>बाये से दाये कासिंग पर बीच की<br>दूरी के अंकन के संबंध में स्थिति<br>स्पष्ट नहीं है ? | चूंकि, प्रस्तावित पाइपलाइन मार्ग के बांये से दाये और<br>सड्क कैरिजवे/बिट्रमिनस सतह से गजरता है जोकि  |

) भवदीय,

कृते टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0।

and

प्रभोष कुमार प्रबंधक (सी0आर0) मो0 7534004611

- प्रतिलिपि –1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  - 2.वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

Government of India Ministry of Environment Forests & Climate Change (Forest Conservation Division)

> Indira Paryavaran Bhawan Jor Bagh Road, Aliganj 5<sup>th</sup> Floor, Agni Wing New Delhi-110003 Dated: 27th July, 2020

To,

The Principal Secretary (Forests) All States/UTs

Sub: Clarification regarding guidelines for diversion of forest land for non-forest purpose as per the general approval, under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, for laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines-reg.

Sir,

I am directed to refer to the representation received from the Government of Punjab through Regional Office Chandigarh vide letter no. 1-2Misc/2019-ROC dated 08.01.2020 on the above mentioned subject and to inform that the matter was considered by the Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 23.04.2020.

2. FAC observed that as per existing guidelines dated 28.03.2019, condition mentioned in Para 4.1 (f) is also applicable on the proposals mentioned in Para 4.2. It further observed that laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines in RoW of the existing road is an activity being taken up in forest area which is already under non forest use.

3. After thorough deliberation on the issue, FAC recommended that CA may not be levied in case of laying of underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines within the RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries without felling of trees.

4. In view of the above, Para 4.2 of the Comprehensive Guidelines issued on 28.03.2019 may be read as:-

Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines. General approval is accorded for taking up these projects within RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries' without felling of trees. Approval, in addition to general conditions mentioned above under para 4.1 (except condition "f"), subject to the following specific conditions:

a. No tree felling is involved for the proposed work

b. After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably.

c. UA agrees to make good of any loss to Forest/Environment.

## File No.FC-11/165/2019-FC

- d. The UA will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance.
- e. In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through National Parks and Wildlife Sanctuaries, General Approval is subject to prior permissions from the State Board for Wildlife.
- f. In case of project involve tree felling, ten trees for each tree marked for removal shall be planted at the cost of user agency in consultation with the local forest department.


This issues with the approval of the competent authority.

Your faithfully,

Copy to:

(Sandeep Sharma) Asst. inspector General of Forests

- 1. The PCCF (HoFF), Department of Forest, All States/UTs.
- 2. The DDGFs(Central), MoEF&CC, All Regional Offices.
- 3. The Nodal officer (FCA), Department of Forest, All states/UTs.
- 4. Monitoring cell of FC Division with request to upload on PARIVESH portal



Down ad by Email?

17/6121

HOLT-01-31/81-2-2021-800(81)/ 2021

अारवमार तिह. अन् त्तचिव जत्तार प्रदेश शासन।

TI A

14:4-55

गुल्हा तन संरक्षक / नाडल अधिकारी ו נודי ציוא איזע אדוינו

की आनमति के संबंध में

पर्यावरण, वन् एवं जलवायु परिवर्तन अनुमाग-2 त्रखनऊ, दिनांक /८ जून, 2021

अनमद गुंचावाबाद में टॉरेंट गेरा प्रातनिष्ठ गुरादाबाद झारा गुरादाबाद काट TIT. भागे (एस०एस०-49) किसी० धेनेज 6.870 से 22 215 तक बायी पटरी एम किमी0 बेनेज 22:215 से 30:570 तक बांबी पट्से पर गैल पाइप लाइन विजय जाने हेतु 1.4118 हैं0 संस्थित वनमूमि के मैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पालन

TELEU

उपर्युक्त निषयक कृपया असने पत्र राठ 2550 / 11 की एफपी / भूमी / पाइपलाइन / 49544 / 2020 की संदर्भ ग्रहण करें।

इस सबंध में नुझे यह कहने का निदेश हुआ हे गेस पाइप लाइन विछाय जाने 2-रतेकी general approval अर्थात 1.00 हे0 वनमूमि के प्रस्ताव के प्रकरणों में भारत सरकार डास झतिपूरक वृक्तारोपम की छूट दी गयी है। विषयगत्त प्रकरण 14118 ह0 तराजित वनमूमि कं गैरवानिकी प्रयोग से लंताधित है. जो general approval से आच्छायित नहीं है। कृपम निम्न विन्दुओं पर रिधति स्पष्ट फिया जाता अपेक्षित हे-

> भेरे पहुँच लंदून मिछान जान संगत general approval के प्रकल्ड न संठ२ठ से घुद्र दी मुखी है। विषयमत प्रयत्न 14118 हुछ संतर्भत वन्त्रूति क रोस्वन्नप्र (1) पानेग हो अंबचित है, जो 1.20 हेंक में अधिक का होने के कारण general approval में आस्फ्रादिश हं असना नही?

विषयसंह प्रवारण में सीवरव स सुट दिये जाने का कारन विग्या गया है े संवर्णन न लिये जाने की स्थिति साद किया बाय।

अन्तान में भागे की बायी तरफ तहरात ने 22215 किनीठ एवं क्षित्रीत झेनेज 22215 री 352573 तक तरंदी पडते 45 गेंस पाइप लाइन किमया जाना सरसातित है। मार्क के बच्चे स हादे कासिल पर रीक की तुईा के अकर के सनम ने देखाते साफ नती हू /

कृपया उपराक्त मिन्दुओं का निराकरण कर रपाट आख्या

शासन का अधितान्व उपलब कराने का कष्ट करें।



कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विमाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक-20/7 ( / 11सी- FP/UP/Ripeline/49544/2020 दिनांक, लखनऊ, जून |

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र0 शासन हारा उमरोक्त विन्दुवार वाछित सूचना / अभिलेख इस कार्यालय तो तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट

प्रतिलिपि-

प्रमागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाग, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उठपेठ शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के

प्रतिलिपि-

माध्यम से कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, टोरेन्ट गैस प्राoलिo, 1 पलोर, मझोली चौराहा, दिव्यी रोड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय भीवास्तव) मुख्य वन् लरक्षक/ नोडल अधिकारी. তাসত, লন্দ্রক

P.7.0

LUST Page No.1083

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल—25, रामगंगा विहार—प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद—दूरमाष संख्या—0591—2450066) पत्रांक

🛱 / | ५ - । दिनांक, मुरादाबाद, जून, 27 2021.

सेवा में.

असिस्टेंट जनरज मैनेजर, टोरेंट गैस प्रा0 लि0, प्रथम तल, मंझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद ।

तिषयः-

यः— जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्रा0 लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद—कांठ मार्ग (एस०एच—49) किं०मी० चैनेज 8. 870 से 22.215 तक बॉयी पटरी एवं किं०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दॉयी पटरी पर गैस पाइपलाईन बिछाये जाने हेतु 1.4118 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर तानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है, कि अनु0 सचिव,उ0प्र0 शासन, लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दु संख्या–1 से 3 आपत्तियों की गयी हैं, जिसका निस्तारण आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित है। अतः आपसे अनुरोध है, कि आप प्रश्नगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का अतिशीध्र निस्तारण कर वांछित सूचना/अभिलेखों की 5 प्रतियाँ मूल में तथा उक्त आपत्तियों की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकाश, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501/11सी, दि0 24–5–2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रभाग स्तर से भांगी गयी सूचना/अभिलेखों की प्रतियाँ अतिशीघ्र उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके। अन्यथा की स्थिति में प्रभाग स्तर से अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा। संलग्नक–यथोपरि

भवदीय, कन्हेंया पटल प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद ।

<u>पत्रांक / दिनांकित।</u> प्रतिलिपि :--वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (कन्हैया पटेल) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

Deepsk/DM/GL7 doc 805

( विजय सिंह ) वन संप्रतक एवं क्षेत्रीय निदेशक, V मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।